

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-379/17

संस्थित दिनांक-16.08.17

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

अरविंद पुत्र मुंशीलाल जाटव उम्र 25 साल

निवासी रजपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 12.01.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.04.17 को 17:00 बजे लालबहादुर पुरा के पास मौ गोहद रोड पर अपने वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी०-30 एम०एल०-2811 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति के परिचालन किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहतगण द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर भादवि० की धारा 337, 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181 के आरोपों में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 25.04.17 को शाम करीब 5 बजे फरियादी भवानी अपने लडके दामोदर के साथ मोटरसाईकिल एम०पी०-07एम०पी०-1999 से जखौरा से सिहोंनिया जा रहा था। मोटरसाईकिल दामोदर चला रहा था तभी लालबहादुर के पुरा के पास मौ रोड पर पहुंचे इतने में गोहद तरफ से एक मोटरसाईकिल एम०पी०-30 एम०एल०-2811 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे आहतगण को चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र० 85/17 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहतगण के चिकित्सीय परीक्षण कराए गए, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.04.17 को 17:00 बजे लालबहादुर पुरा के पास मौ गोहद रोड पर अपने वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0-30 एम0एल0-2811 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2—क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति के परिचालन किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में भवानी अ०सा० 1, दामोदर अ०सा० 2, मुंशीलाल अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। प्रकरण में तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

7. फरियादी भवानी अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में घटना एक साल पहले शाम के 5 बजे की होना बताते हुए कथन करते हैं कि वे और उनका लड़का दामोदर मोटरसाईकिल क्र० एम0पी0-07 एम0पी0-1999 से जखारा से सिहोनियां लगुन लेकर जा रहे थे। वे लोग जैसे ही लाल बहादुर के पुरा मौ रोड पर पहुंचे तभी एक मोटरसाईकिल से उनकी टक्कर हो गयी जिससे उनके दाए पैर के घुटने, टखने तथा लड़के दामोदर के दाए हाथ व पैर में चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट उन्होंने पुलिस को की थी, रिपोर्ट प्र०पी० 1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में कथित दुर्घटना में लिप्त मोटरसाईकिल का कोई क्रमांक व उसके चालक के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। दामोदर अ०सा० 2 इस तथ्य का समर्थन करता है कि वह अपने पिता के साथ उक्त मोटरसाईकिल से जा रहा था तब लालबहादुर के पुरा मौ रोड पर एक मोटरसाईकिल से उसकी टक्कर हो गयी जिससे उक्त चोटें आई थी। किन्तु यह साक्षी घटना में लिप्त वाहन मोटरसाईकिल का कोई नंबर, वाहन चालक का नाम या पहचान बताने में अस्मर्थ है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर दिए जाने से अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

8. फरियादी भवानीसिंह अ०सा० 1 और आहत दामोदर अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन द्वारा दिए गए सुझाव से इंकार करते हैं कि मोटरसाईकिल क्र० एम0पी0-30 एम0एल0-2811 के चालक अरविंद जाटव द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाईकिल

में टक्कर मार दी थी। फरियादी भवानीसिंह अ०सा० 1 पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 व पुलिस कथन प्र०पी० 3 में इसी प्रकार से आहत दामोदर पुलिस कथन प्र०पी० 4 में विनिर्दिष्ट भाग का कथन पुलिस को दिए जाने से इंकार करते हैं। उक्त साक्षी इस तथ्य से भी इंकार करते हैं कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त द्वारा ही मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गयी थी। स्वयं आहतगण द्वारा दिन में घटित घटना में अभियुक्त की पहचान से इंकार करने से अभियोजन का संपूर्ण मामला संदिग्ध हो जाता है।

9. प्रकरण में अभियोजन की ओर से वाहन स्वामी मुंशीलाल अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जो अभियुक्त का पिता भी है। वह घटना दिनांक को उसकी मोटरसाईकिल घर पर रखे होने के संबंध में कथन करते हैं। साथ ही मई के महीने में उनकी मोटरसाईकिल को थाने पर रोक लेने और कागज दिखाने तथा हस्ताक्षर कराने का कथन करते हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किए जाने पर इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक 25.04.17 को अभियुक्त द्वारा उनकी मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गयी थी। प्रकरण में उक्त साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं ऐसी दशा में उसकी साक्ष्य मात्र अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आती है और वह भी अभियुक्त की संलिप्तता से इंकार करते हैं ऐसी दशा में अभियुक्त के घटना दिनांक 25.04.17 को सुसंगत समय शाम 5 बजे उक्त मोटरसाईकिल एम०पी०-30 एम०एल०-2811 को लोकमार्ग पर चलाए जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, ऐसी दशा में प्र०पी० 1 लगायत 5 के दस्तावेज स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में न होने से अभियुक्त के विरुद्ध कोई दोषसिद्धि का आधार गठित नहीं करते हैं।

10. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 25.04.17 को 17:00 बजे लालबहादुर पुरा के पास मौ गोहद रोड पर अपने वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी०-30 एम०एल०-2811 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति के परिचालन किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

13. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश